



संख्या : 4686-नि०(मा०सं०) / उपाकालि / 2016

दिनांक : 02 जून, 2016

समस्त मुख्य अभियन्ता [स्तर-1]

मुख्य अभियन्ता [स्तर-2] / महाप्रबन्धक (वित्त),

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड,

विषय :- अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

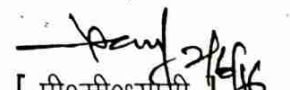
अवगत कराना है कि कारपोरेशन में सम्प्रति प्रवृत्त नियमानुसार अधीनस्थ अधिकारियों को विकलांगता अवकाश, अध्ययन अवकाश, विदेश गमन हेतु अवकाश के अतिरिक्त 60 दिन तक की अधिकतम सीमा तक समस्त प्रकृति के अवकाश स्वीकृत करने हेतु सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक सक्षम हैं एवं 60 दिन से अधिक अवधि के समस्त प्रकृति के अवकाश प्रकरणों को कारपोरेशन को संदर्भित किया जाना अभीष्ट है।

क्षेत्रीय स्तर पर निर्गत अधिकारियों के अवकाश स्वीकृति आदेशों में प्रायः स्वीकृति उपरान्त अवशेष अवकाश का उल्लेख नहीं किया जाता है। साथ ही कारपोरेशन को अग्रसारित अवकाश आवेदनों में अधिकारियों की विशेष अवकाश अवधि अथवा अवकाश पर प्रस्थान के दिनांक से विशिष्ट अवधि के अपेक्षित अवकाश का उल्लेख नहीं किया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारियों की कार्य व्यस्तता अथवा अन्य कारण से अवकाश पर प्रस्थान की विशिष्ट तिथि को कार्यमुक्त न हो पाने के फलस्वरूप प्रायः अवकाश स्वीकृति आदेशों में संशोधन किया जाना अपेक्षित होता है, जिससे समय व साधनों का अपव्यय होता है और आवेदक अधिकारियों को असुविधा भी होती है।

अतः अवकाश स्वीकृत किये जाने में होने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के परिपेक्ष्य में अपेक्षित है कि क्षेत्रीय स्तर पर अवकाश स्वीकृति आदेशों में स्वीकृति उपरान्त अवशेष अवकाश का उल्लेख अवश्य किया जाए तथा कारपोरेशन को संदर्भित किये जाने वाले आवेदनों में जहां आवश्यक हो वहां अवधि विशेष अथवा अवकाश पर प्रस्थान के दिनांक से अपेक्षित अवकाश अवधि का उल्लेख अवश्य किया जाए।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने तथा अधीनस्थ अधिकारियों को भी अनुपालनार्थ विधिवत अवगत कराए जाने की व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


[पी०सी०ध्यानी]
निदेशक(मा०सं०)

संख्या -नि०(मा०सं०) / उपाकालि / 2016, तददिनांक,

प्रतिलिपि सीनियर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी-प्रबन्ध निदेशक, उ०पा०का०लि०, विक्टोरिया कास विजेता गबर सिंह भवन, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित ।

[पी०सी०ध्यानी]
निदेशक(मा०सं०)